पत्र संख्या–वन भूमि–54/2019– 4019 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 16/10/2019

विषयः– मौजा–श्रीरामपुर, थाना नं0–48 एवं मौजा–शिखरडीह, थाना नं0–71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे0 (21.60 एकड़) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1109 दिनांक–12.09.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयगत परियोजना से संबंधित वन भूमि पूर्व में मेसर्स आयडा द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित 276.97 एकड़ (112.09 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का ही हिस्सा है । प्रस्ताव के साथ समर्पित Authenticated Land Schedule के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विषयक परियोजना में सन्निहित भूमि में प्रस्तावित 21.60 एकड़ अधिसूचित वन भूमि के अलावा मौजा–शिखरडीह के प्लॉट सं0–65 में अवस्थित 0.36 एकड़ गैर मजरुआ (जंगल–साखु) भूमि भी सन्निहित है ।

वर्णित स्थिति में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :–

(i) Authenticated Land Schedule के अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के रकबा में सुधार आवश्यक है ।

(ii) चूँकि प्रस्तावित वनभूमि पूर्व में AIADA द्वारा समर्पित 112.09 हे0 (276.97 एकड़) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आयडा द्वारा विषयक प्रस्ताव हेतु NOC भी दी गई है। इस संबंध में आयडा से स्थिति स्पष्ट करायी जाय कि एक ही वन भूमि का दो अलग–अलग अपयोजन प्रस्ताव का क्या औचित्य है।

(iii) प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा FRA के तहत् निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।

(iv) CWLW का मंतव्य।

अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/10/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

v.Van-Bhumi-2019-172

ज्ञापांक–वन भूमि–54/2019– 4019 व0प0, राँची दिनांक–16/10/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/उप महाप्रबंधक, जमशेदपुर, एल0पी0जी0 क्षेत्रीय कार्यालय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी